५

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–91/2017–18 राज्य बनाम अजय मिश्रा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
07.11.2017	*आदेश* पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2742/ही0शा0, दिनांक 22.08.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत परवत्ता थाना कांड संख्या–194/2017 दिनांक 02.6.2017 में वादी स0अ0नि0 श्री प्रवीण पाल द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक काला रंग का टेम्पु गाड़ी नं0–BR-34P-3230 के छत पर उजला रंग के प्लास्टिक की बोरी से झारखंड उत्पाद लिखा देशी शराब का 200 एम0एल0 का 110 (एक सौ दस) पाउच तथा लाल रंग के प्लास्टिक के थैला में 200 एम0एल0 का 110 (एक सौ दस) पाउच कुल 220 (दौ सौ बीस) पाउच देशी शराब तथा टेम्पु के बीच वाली सीट पर बीच में बैठा व्यक्ति अजय यादव के गोद में रखे एक काला रंग के बैग में रखा 750 एम0एल0 वाला 06 बोतल एवं 375 एम0एल0 वाला 04 बोतल रॉयल स्टेग विदेशी शराब जिसका कुल वजन 06 लीटर बरामद किया गया है। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक, गोगरी का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है:– जप्ती सूची के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि एक काला रंग के टेम्पु नं0 बी0आर0 34पी 3230 पर अवैध ढंग से शराब लेकर कुछ व्यक्ति अगुवानी घाट से खगड़िया की ओर ले जा रहे है। थाना से शस्त्रबल के साथ प्रस्थान कर ग्राम करना पहुँच कर बाबा चिमनी भट्ठा के सामने सड़क पर उक्त टेम्पु के आने का इंतजार कर रहे थे कि करीब 5.00 बजे संध्या के आस पास टेम्पू नं0– बी0आर0 34पी 3230 अगुवानी के तरफ से आया, जिसे पुलिस द्वारा रूकने का इशारा	

किये परन्तु टेम्पु चालक टेम्पु को लेकर तेजी से मडैया की तरफ भागने का प्रयास करने लगा जिसे शस्त्रबल एवं चौकीदार के सहयोग से रोका गया। टेम्पु पर तीन व्यक्ति सवार थे जो पूछने पर अपना नाम क्रमशः 1. अजय यादव पे0 विलास यादव 2.भोला मिस्त्री पे0 पित्ताम्बर मिस्त्री 3. चन्दन गुप्ता पे0 स्व0 जगरनाथ गुप्ता तीनो सा0 बबुआगंज थाना+जिला–खगड़िया बताये। टेम्पु चालक पूछने पर अपना नाम अजय हजारी पे0 अर्जुन हजारी सा0 डूमरिया बुजूर्ग, थाना परवत्ता बताये। टेम्पु के तलाशी में टेम्पु के छत पर उजला रंग के प्लास्टिक के बोरा में रखा हुआ 200 एम0एल0 का 110 पाउच देशी शराब एवं लाल रंग के प्लास्टिक के थैला में रखा हुआ 200 एम0एल0 का 110 पाउच देशी शराब कुल 220 पाउच कुल वजन 44 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। प्रत्येक पाउच पर झारखंड उत्पाद लिखा हुआ है। टेम्पु पर बीच वाली सीट पर बैठे बीच के व्यक्ति के पास से एक काला रंग के बैग में रखा 750 एम0एल0 वाला 06 बोतल एवं 375 एम0एल0 का 04 बोतल रॉयल स्टेग विदेशी शराब जिसका कुल वजन 06 लीटर बरामद किया गया।

प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

अजय मिश्रा पे0 अर्जून मिश्रा, ग्राम–डूमरिया बुजुर्ग थाना–परबत्ता जिला–खगड़िया को डी0बी0नं0 343 दिनांक 26.9.17 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0नं0 342/विधि, दिनांक 26.09.17 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी को भेजा गया।

डी0बी0नं0–293/विधि, दिनांक 07.09.17 से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी।

जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया ने अपने पत्रांक 1325/ परि0 दिनांक 13.09.17 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या–BR34P 3230 चेचिस नं0–MD2A41AZ7FWK01387 इंजन न0–BBZWFK00300 ओटो रिक्शा अजय मिश्रा ग्राम–डूमरिया बुजुर्ग, थाना–परवत्ता, जिला–खगड़िया के नाम से पंजीबद्ध है।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। उनके द्वारा कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि उन्हें झुठे मुकदमे में फसाया गया है। उनका टेम्पु व्यवसायिक नम्बर से निबंधित रहने के कारण व्यवसायिक वाहन के द्वारा यात्री को एक जगह से दूसरे जगह

पहुचाने का काम करता है, कौन यात्री का क्या सामान है इसकी जानकारी चालक को नहीं था। वह सिर्फ यात्री ही जानता है। व्यवसायिक वाहन के चालक को पुछने या जॉचने का अधिकार नहीं होता है। वे अपने आजीविकोपार्जन के लिए टेम्पु चलाते हैं और परिवार को भरण पोषण करते हैं। उनके जीवंत पास से न तो कोई बैग भरा शराब या कोई अवैध समान ही बरामद हुआ है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया हे कि टेम्पु के मुक्ति क लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना में आपराधिक मुक्ति याचिका दाखिल किया गया है जो सुनवाई के लिए लंबित है। उनके द्वारा थाना कांड संख्या–194/2017 थाना–परवत्ता में उनके जप्त वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2742/हि0शा, दिनांक 22.08.2017 के साथ संलग्न स0अ0नि0 परबत्ता थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कि वाहन संख्या–BR34P 3230 चेचिस नं0–MD2A41AZ7FWK01387 इंजन न0–BBZWFK00300 ओटो रिक्शा जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी का यह कहना कि माननीय उच्च न्यायालय में आपराधिक मुक्ति याचिका दाखिल किया गया है, जो सुनवाई के लिए लंवित है। इसके समर्थन में कोई भी साक्ष्य या कागजात विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय से भी इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नही है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि सदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

विपक्षी के अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि विपक्षी के पास से कोई शराब बरामद नहीं हुआ है। व्यवसायिक वाहन पर कौन व्यक्ति क्या सामान ले जा रहा है उसकी जॉच चालक द्वारा नहीं किया जाता है। विपक्षी निर्दोष है। विपक्षी को दोषमुक्त करते हुए

उनका टेम्पु को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग शराब कारोबार के लिए किया जा रहा था। प्रतिवादी द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि उनके वाहन से शराब बरामद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि:–

1. इस अपराध में प्रयुक्त कि वाहन संख्या–BR34P 3230 चेचिस नं0–MD2A41AZ7FWK01387 इंजन न0–BBZWFK00300 ओटो रिक्शा जो जप्त कर परबत्ता थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन संख्या–BR34P 3230 चेचिस नं0–MD2A41AZ7FWK01387 इंजन न0 –BBZWFK00300 ओटो रिक्शा का मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता
खगड़िया।

समाहर्त्ता
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1.	02.	3.
	डी0 बी0 नं0 468 / विधि, दिनांक 6/12/2017 प्रतिलिपिः–जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/अधीक्षक, उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 6/12 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 6/12/17	